(2)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, करौली

क्रमांक :– जिशिअ–माध्य/करौली/सामान्य/मान्यता/2013–14/वो–2/1068 दिनांक :– 15.5.2013

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशांक – शिविरा–माध्य/मा/अ–2/21313/वो–2/2013–14 दिनांक 09.05.2013 की अनुपालना में निम्न सूची अनुसार सत्र 2013–14 से गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में निम्नांकित शर्तों के तहत निर्देशानुसार क्रमोन्नत किया जाता है –

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , राजस्थान , अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की माँग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करावाने होगे।
6. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 की पालना अनिवार्य है । अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम , 1989 एवं नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।

क्रमोन्नत गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची :–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	मान्यता का स्तर	संकाय	विषय	संकाय	अतिरिक्त विषय
1.	श्री कैलादेवी मन्दिर माध्यमिक विद्यालय कैलादेवी	उमावि	कला	भूगोल, गृह विज्ञान, चित्रकला	कला	कम्प्यूटर
			विज्ञान	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान	विज्ञान	गणित
			वाणिज्य	बही खाता, व्यापार पद्धति, बैंकिंग	—	—
2.	जे.डी.सनराईज माध्यमिक विद्यालय डिकोलीकलां	उमावि	कला	हिन्दीं. भूगोल, इतिहास	—	—
3.	सुभाष पब्लिक माध्यमिक विद्यालय अटा (करौली)	उमावि	कला	हिन्दी., राजनीति विज्ञान., संस्कृत	कला	भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला
4.	ऐक्सीलेन्स एज्यूकेशनल एकेडमी नादौती	उमावि	कला	अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल,	कला	संस्कृत, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, चित्रकला, लोक प्रशासन
5.	अम्बेडकर माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर	उमावि	कला	हिन्दी, संस्कृत, भूगोल,	कला	राजनीति विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान
			विज्ञान	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान	विज्ञान	गणित
6.	स्वामी पब्लिक माध्यमिक विद्यालय शांतिवीर नगर दानालपुर	उमावि	कला	हिन्दी, राजनीति विज्ञान, भूगोल	कला	चित्रकला, इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा करौली

क्रमांक :– जिशिअ–माध्य / करौली / सामान्य / मान्यता / 2013–14 / वो–2 / 1068 दिनांक :– 15.5.2013

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान उपशासन सचिव महोदय, (शिक्षा ग्रुप–5) राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय , माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।
4. श्रीमान उपनिदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा भरतपुर।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा करौली ।
6. संबंधित गैर सरकारी संस्था / विद्यालय ।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा करौली

D:\Schools\non govt schools\NGS 2013-14\NGS Prom.Order 2012-13.doc

विद्यालय - SHRI KAILADEVI MANDIR SR SEC SCHOOL (P32373) आवेदन क्रमांक : 40364

मान्यता कोड : RJKRL32002

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक KARAULI , राजस्थान

क्रमांक: 15 दिनांक 08.04.22

सचिव

प्रबंध समिति

SHRI KAILADEVI MANDIR SR SEC SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 40364 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SHRI KAILADEVI MANDIR SR SEC SCHOOL पता BARGAMA ROAD KAILADEVI TEH KARAULI DIST KARAULI ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय KAILADEVI ब्लॉक KARAULI को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम	English
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम किस कक्षा से किस कक्षा तक	1-12

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

शर्तः-संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि लगाये गये आक्षेपों/कमियों की शीघ्र पूर्ति करें ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक करौली (राज०)

विद्यालय - SHRI KAILADEVI MANDIR SR SEC SCHOOL (P32373)

आवेदन क्रमांक : 40364

मान्यता कोड : RJKRL32002

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) करौली (राज०)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) करौली (राज०)